

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मुकदमा संख्या 221 / 2023

अनुदान राजस्थान सरकार तहसीलदार सिणधरी बनाम मीरगाम

-आदेश-

दिनांक 14.12.2023

श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर के पत्रांक प.121/1/राजस्व/2018/2016-40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **लाखोंगी सारणों की ढाणी** पटवार मण्डल **कमठाई** तहसील सिणधरी की जमाबंदी सन् 2076-2079 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिस गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशासित किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक.प.3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक.प.3(2)राज-6/2021/पार्ट/31 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान मू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व **लाखोंगी सारणों की ढाणी** पटवार मण्डल **कमठाई** तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थान सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि			
					रकबा (हेक्ट.)	लंबाई (फुट में)	चौड़ाई (फुट में)	
1	1. मीरगाम पुत्र कालूराम जति-जाट सा.र.ख. खातेदार 2. मीरगाम पुत्र कालूराम जति-जाट सा.र.ख. खातेदार	121	7.9658	बा.द.	0.0425	30	4	ब.द.
	कीम		7.9658					



(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी